



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

www.centralbankofindia.co.in Build a better life around us.

क्षेत्रीय कार्यालय एस सी रोड़, जयपुर-302001,
फोन : 0141-4913526-27

ई-नीलामी/विक्रय सूचना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में 'जहां है जैसी है जो है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

अचल संपत्तियों का विवरण

ऋणी/बंधककर्ता का नाम तथा शाखा का नाम	13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली वृद्धि राशि	खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड
श्रीमती गुड्डडी देवी पत्नी श्री सुंदर सिंह एवं श्री सुंदर सिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी प्लॉट क्र. 32,33,34,35,36 शिवाजी नगर, औडेटा रोड़, धौलपुर (राज.)	दिनांक: 26.06.2019 बकाया राशि- रु. 13,23,636/- (रूपये तेरह लाख तब्तीस हजार छः सौ छत्तीस बीस) + दिनांक 19.07.2019 से प्रभावी ब्याज + अन्य प्रभार	जिन सभी आवश्यक भागों (Part & Parcel) से मिलकर यह संपत्ति बनती है- श्रीमती गुड्डडी देवी पत्नी श्री सुंदर सिंह के स्वामित्व में आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 32,33,34,35,36 खसरा क्र. 518, वाके ग्राम महमदपुर तह. व जिला धौलपुर (राज.) के अंश है, जो शिवाजी नगर औडेटा धौलपुर में स्थित है, कुल क्षेत्रफल 1166.66 वर्गज है। सम्पत्ति के हक दस्तावेजों के अनुसार स्थिति एवं दिशाएं निम्न हैं। उत्तर में- प्लॉट क्र. 37, दक्षिण में- प्लॉट क्र. 31, पूर्व में- रास्ता, पश्चिम में- प्लॉट क्र. 25,26,27,28 व 29	रु. 71,77,000/- रु. 7,17,700/- रु. 20,000/-	खाता सं. 3534794812 IFSC Code: CBIN 0283334

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय: 28.08.2019 को दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयावृद्धि वाक्यांश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा करने हेतु अंतिम दिनांक 27.08.2019 को सांय 04:00 बजे तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विनूत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर पंजीकृत कर तथा निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण मैसर्स सी। इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, श्री विनोद चौहान समर्पक नं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव हेल्पलाइन नं. +91-1244302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com 5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 27.08.2019 तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रैता को वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पैन कार्ड की प्रति 3. पहचान का साक्ष्य (KYC) स्वस्थानिक चोटी आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतम/उच्चतम बोलीदाता की दशा में समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय सम्पूर्ण होने के 7 दिवसों के भीतर लौटा दी जायेगी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 26.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता जो उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) ऑनलाइन नीलामी बन्द होने तक जमा करायेगा उसे प्राथमिक अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता को 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुलन तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करायेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में अस्मर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जफ्त कर ली जायेगी। 11. समग्र प्रभार किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीकरण के खर्च इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निरस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थगन/रद्द करने का अधिकार आरक्षित रहता है। 14. संपत्ति संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया धौलपुर शाखा, श्री राजेन्द्र मीणा शाखा प्रबंधक मो. 8696930626, ई-मेल bmjaip3334@centralbank.co.in अथवा मैसर्स सी। इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्फैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

दिनांक: 20.07.2019, स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया